

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय-बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./25/2017

Filling No.CRA/744/2017

संस्थित दिनांक - 22.12.2015

मंगलसिंह पिता मोहपत सिंह मसराम उम्र 35 वर्ष
निवासी-ग्राम बासी थाना रूपझर जिला बालाघाट अपीलार्थी ।

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-रूपझर तहसील बैहर
जिला बालाघाट उत्तरवादी ।

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्र.क्र.-233/2009 में पारित निर्णय
दिनांक 02.12.2015 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के
अंतर्गत यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री देवेन्द्र गजभिए अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी-मंगल सिंह ।
श्री अभिजीत बापट अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य ।

-// // निर्णय // // -

(आज दिनांक 05 सितम्बर 2016 को घोषित)

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के अंतर्गत श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 233/2009 शासन बनाम मंगलसिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किए जाने से परिवेदित होकर पेश की गई है ।
2. चंद्रवती अ.सा.1, सोमवती अ.सा.2, रमेश अ.सा. 3, सुखवती अ.सा. 4, हरिचंद अ.सा. 5 आरोपी को जानते पहचानते है ।
3. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 25.04.2009 को फरियादिया ने थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त तिथी को उसका पति शादी में बाहर गया था, फरियादिया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में सोई थी, बाहर कमरे में ननंद सुखवंतीबाई सो रही थी। रात्रि

करीब 11:00 बजे गांव का मंगल सिंह और उसके कमरे में आकर बुरी नियत से उसका मुंह दबाकर उसके उपर चढ़ गया, चिल्लाने पर छोड़कर भाग गया। आरोपी मंगल को भागते हुए नंद सुखवंती ने देखा, सास-ससुर व पति के बाहर से वापस आने पर घटना बताई, आशय की प्रथम सूचना लेख कराने पर अपराध क्रमांक 0/2009 धारा 456, 354 भा.द.वि. के अधीन अपराध की कायमी कर असल नंबर हेतु थाना रूपझर भेजा गया। जहाँ अपराध क्रमांक 44/2009 धारा 456, 354 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना लेख की गई, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। फरियादिया की निशादेही पर मौकानक्शा बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन नहीं किया है। विधि की मान्यता के विपरीत दण्ड अधिरोपित कर कानून की भूल की है। अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई है, चिकित्सीय प्रतिवेदन सबूत नहीं कराया गया है, साक्षियों के कथनों से संदेह से परे मामला साबित नहीं होता है, अभियुक्त को संदेह का लाभ न देकर त्रुटि की है, अभियुक्त को दी गई दण्डाज्ञा अत्यधिक है, परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए था, पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा निरस्त कर दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क. 233/2009, शासन विरुद्ध मंगल सिंह, निर्णय दिनांक 02.12.2015 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

6. चंद्रवती (अ.सा.1) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि आरोपी मंगल साक्षी के गांव में रहता है, पहचानती है। घटना 3 वर्ष पूर्व रात्रि 10-11 बजे की साक्षी के घर की है। घटना के समय साक्षी अपने दो बच्चों के साथ सोई थी, आरोपी मंगल साक्षी के घर घुस गया था, साक्षी के साथ छेड़ा-छाड़ी करने लगा, साक्षी ने आवाज दी कि कौन है, उतने में आरोपी भाग गया था।

उस समय साक्षी आरोपी को देख नहीं पायी थी। साक्षी की ननद सुखवती और सास सोमवती घर पर ही थी। सोमवती ने आरोपी को देखा था। घटना की रिपोर्ट डोरा चौकी में की थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी. 1 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

7. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि पुलिस को घटनास्थल बताया था, पुलिस ने साक्षी के समक्ष नजरी नक्शा प्र.पी. 2 बनाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में स्वीकार किया है कि उसने घटना दिनांक के दिन रिपोर्ट करने नहीं गई। स्वतः कहा 2 दिन बाद गई थी। यह इंकार किया है कि उसने चौथे दिन रिपोर्ट की थी। यह इंकार किया है कि पति ने जो बताया था वही रिपोर्ट लिख दी गई थी। साक्षी का पति शादी में गया हुआ था। दूसरे दिन साक्षी का पति घर आया था। यह इंकार किया है कि साक्षी ने उसके पति के आने पर रात की घटना की बात पति को नहीं बताई थी।

8. प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि घटना के समय लाईट नहीं थी। यह इंकार किया है कि घटना के पहले साक्षी के पति और आरोपी के बीच कहा सुनी हुई थी, मनमुटाव था। यह इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को साक्षी के घर नहीं आया था। आरोपी से झगड़ा होना इंकार किया है, झूठी रिपोर्ट लेख कराना इंकार किया है, पति के कहने पर रिपोर्ट लिखाना इंकार किया है, यह इंकार किया है कि आरोपी साक्षी के घर नहीं घुसा, केवल शक के आधार पर रिपोर्ट की थी।

9. सोमवतीबाई (अ.सा.2) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि आरोपी मंगल को पहचानती है। चंद्रवती साक्षी की बहू है। घटना 2-3 वर्ष पूर्व रात 10 बजे की है। घटना की रात में घुसा था, चोरी करने घुसा था या किसलिए घुसा था नहीं मालूम। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 3 का अ से अ भाग का कथन पुलिस को देना इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में इंकार किया है कि घटना के समय लाईट नहीं थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि घटना 9-10 बजे की है। उस समय सभी लोग जागते रहते हैं। यह स्वीकार किया है कि अचानक लाईट गोल हो गई थी। स्वतः कहा रात उजाली थी। यह स्वीकार किया है कि अंधेरे में कोई किसी को पहचान नहीं सकता। स्वतः कहा साक्षी ने आरोपी को लाईट बुझाते देखा था। यह इंकार

किया है कि आरोपी को साक्षी को घुसते नहीं देखा। यह इंकार किया है कि साक्षी के पुत्र से विवाद होने के कारण साक्षी झूठा कथन कर रही है।

10. रमेश (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न के उत्तर में राज्य की ओर से दिए गए सुझावों को इंकार किया है। साक्षी ने प्र.पी. 3 का कथन पुलिस को देना इंकार किया है।

11. सुखवती (अ.सा.4) ने साक्ष्य दी है कि प्रार्थी साक्षी की भाभी है। चार वर्ष पुरानी रात्रि की साक्षी के गांव बासी में घर की घटना है। रात में वह सोई थी। आरोपी मंगल साक्षी के घर घुस गया था, लाईट बंद कर दी थी, दरवाजा खटखटाने की आवाज आयी तो साक्षी ने देखा आरोपी घर से निकलकर भाग रहा था। सूचक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 25.04.2010 की है। साक्षी का भाई हरीशचंद शादी में बाजा बजाने गया था, भाभी चंद्रवती घर के अंदर सोई थी। उस समय आरोपी मंगल उसका मुंह दबाकर उस पर चढ़ने लगा तो वह चिल्लाई तब आरोपी मंगल उसे छोड़कर भाग गया। आरोपी मंगल उसके उपर बुरी नियत से चढ़ने लगा था इसलिए घर में घुसा था। यह स्वीकार किया है कि उसके बाद गांव में बात बताई थी। थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे। प्र.पी. 4 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिया था।

12. प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि साक्षी और उसकी भाभी अगल बगल कमरे में सोए थे। यह इंकार किया है कि मंगल घर में नहीं घुसा था। यह इंकार किया है कि आरोपी को साक्षी ने नहीं पहचाना था। यह इंकार किया है कि आरोपी को साक्षी ने अपने घर में नहीं देखा। यह इंकार किया है कि भाभी कहने पर झूठे बयान दे रही है। यह इंकार किया है कि आरोपी को भागते नहीं देखा था। यह इंकार किया है कि आरोपी मंगल को लाईट बुझाते नहीं देखा था।

13. हरिचंद (अ.सा.5) अनुश्रुत साक्षी है जिसने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि चंद्रवती साक्षी की पत्नी है। साक्षी आरोपी को पहचानता है। घटना 5 वर्ष पुरानी है। साक्षी बाजा बजाने चला गया था। साक्षी की पत्नी चंद्रवती माता पिता, बहन, बच्चे थे। मंगल साक्षी के घर में साक्षी की पत्नी का बलात्कार करने के लिये घुसा और बिजली बंद कर दी। साक्षी की पत्नी चिल्लाई तो आरोपी भाग गया था। साक्षी दूसरे दिन घर आया था, साक्षी की पत्नी, घर

वालों और गांव के लोगों ने बताया था कि मंगलसिंह रात में चद्रवती का बलात्कार करने घर में घुसकर बिजली बंद कर दी थी। साक्षी की पत्नी चिल्लाई तो मंगल सिंह घर से निकलकर भाग गया था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में साक्षी को पहले मंगल की पत्नी ने बताया था। यह इंकार किया है कि मंगल की पत्नी ने यह कहा था कि साक्षी की पत्नी ने उसके पति के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लेख कराई है। यह इंकार किया है कि वह अपनी पत्नी के कहने पर झूठा बयान दे रहा है।

14. एस.के. मिश्रा (अ.सा.6) उप निरीक्षक अन्वेषण अधिकारी ने प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना दिनांक 29.04.2009 को लेख की थी जिसके ब से ब भाग पर हस्ताक्षर है। असल नंबरी हेतु थाना रूपझर भेजी थी, असल कायमी प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक लख्मीचंद चौधरी के हस्ताक्षर है। प्रार्थिया की निशादेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी. 2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षीगण के कथन उनके बताएनुसार लेख किए थे। आरोपी मंगल को दिनांक 29.04.2009 को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर प्र. पी. 6 का गिरफ्तारी पत्र बनाया था जिसपर उसके हस्ताक्षर है।

15. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में स्वीकार किया है कि प्रार्थिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराते समय गवाहों के नाम नहीं बताए थे। यह इंकार किया है कि साक्षियों के कथन लेख किए जाने के पूर्व आरोपी को गिरफ्तार किया था। यह इंकार किया है कि साक्षियों के कथन थाने में बैठकर लेख कर लिये थे। यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करते समय अन्य साक्षियों को नहीं बुलाया था यह इंकार किया है कि प्रार्थिया ने अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं किए थे। यह इंकार किया है कि प्रथम सूचना प्र.पी. 1 पर अ से अ भाग पर प्रार्थिया के हस्ताक्षर नहीं है।

16. मामले में किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

17. अपीलार्थी और फरियादी के मध्य पूर्व से कोई वैमनस्यता होना अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं का परीक्षण अपने बचाव के संबंध में नहीं कराया है। अभियुक्त घटना के समय किस स्थान पर उपस्थित था, का सुझाव अभियोजन साक्षियों को नहीं दिया है। साथ ही बचाव साक्षी यदि कोई दिए जा सकते थे, का परीक्षण नहीं कराया है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण ने

अपीलार्थी प्रार्थिया के घर में बिना अनुमति के अपराध कारित करने के आशय से घुसा था, को निष्कर्षित कर विधिक त्रुटि नहीं की है, तथ्य की त्रुटि नहीं की है, साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है।

18. अभिलेख पर आयी साक्ष्य में अपीलार्थी ने घटना दिनांक को रात्रि के समय प्रार्थिया के घर में घुसकर प्रार्थिया स्त्री है जानते हुए प्रार्थिया के शरीर पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था, निष्कर्षित कर विधिक त्रुटि नहीं की है, तथ्य की त्रुटि नहीं की है, साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार विद्वान विचारण द्वारा धारा 354 भा.द.वि. – स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आवश्यक तत्व साक्ष्य से प्रमाणित है। साथ ही धारा 458 भा.द.वि. के लिये – उपहति, हमला या सदोष अवरोध तैयार के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृहभेदन के आवश्यक तत्व प्रमाणित है। परिणामतः धारा 458, 354 भा.द.वि. में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्षित दोषसिद्धि में कोई त्रुटि न होने से हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है।

19. जहाँ तक दण्ड का प्रश्न है विद्वान विचारण न्यायालय ने 1-1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। विधिक प्रावधान का अध्ययन किया गया। धारा 458 भा.द.वि. के अपराध 14 वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड से दंडनीय होना लेख है। इस प्रकार केवल 1 वर्ष का कारावास देकर विद्वान विचारण न्यायालय ने पूर्व से ही अपीलार्थी के पक्ष में नरम रुख अपनाया है जिसे और अधिक कम नहीं किया जा सकता। धारा 354 भा.द.वि. के अपराध हेतु 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जा सकने का विधिक प्रावधान है। इस अपराध के लिए भी विद्वान विचारण न्यायालय ने 1 वर्ष के कठोर कारावास और 500/-रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

20. धारा 354 भा.द.वि. के अपराध हेतु संशोधित विधि 2013 के द्वारा दिनांक 03.02.2013 से प्रभावशील अनुसार 1 वर्ष से कम नहीं होगा जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जावेगा। संशोधित प्रावधान के आधार पर 1 वर्ष का कारावास और 500/-रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। घटना आरोप पत्र, अभियोग पत्र के अनुसार दिनांक 25.04.2009 की है अर्थात् संशोधन के पूर्व की होने से दिनांक 03.02.2013 के पूर्व की विधिक

स्थिति अनुसार दंडादेश पारित किया जाना चाहिए था, इसलिए धारा 354 भा.द. वि. के प्रमाणित अपराध हेतु 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/-रु. अर्थदण्ड में परिवर्तन करते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा 500/-रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया जाना यह न्यायालय उचित पाती है।

21. अतः अपीलार्थी मंगल सिंह की ओर से पेश अपील गुणदोष पर स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है। धारा 458 भा.द.वि. के अधीन पारित दण्डादेश 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500/-रु. का अर्थदण्ड की पुष्टि की जाती है। धारा 354 भा.द.वि. के अधीन पारित दण्डादेश में आंशिक संशोधन करते हुए कठोर कारावास के स्थान पर 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा 500/-रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

22. अपीलार्थी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय दिनांक 02.12.2015 को रसीद क्रमांक 23104/48 से 1,000/-रुपए का अर्थदण्ड अदा कर दिया है। अपीलार्थी को कारावासी दण्ड विद्वान विचारण न्यायालय के सजा वारंट में केवल 354 भा.द.वि. के लिए कठोर कारावास के स्थान पर साधारण कारावास लेख कर सजा भुगताए जाने अपीलार्थी को जेल प्रेषित किया जावे।

23. निर्णय की एक प्रति न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्या0मजि0प्र0श्रे0 बैहर के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर नतीजा दर्ज करने भेजी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।

सही/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर